दामोदर घाटी निगम
Damodar Valley Corporation

हिन्दी दिवस 14 सितम्बर, 2014 के शुभ अवसर पर

निगम अध्यक्ष महोदय का संदेश

प्रिय सहकर्मियो,

सर्वप्रथम, हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी शुभकामनाएँ।

भारत एक बहुभाषी देश है। सैकड़ों वर्षों से हिन्दी हमारे देश की संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती रही है। हिन्दी की इसी विशेषता के कारण हमारे संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस महत् उद्देश्य के तहत हर वर्ष 14 सितम्बर को पूरे भारत में हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

हम सभी जानते हैं कि हिन्दी हमारे देश की एक ऐसी भाषा है जो अधिक से अधिक लोगों के बीच बोली और समझी जाती है। हिन्दी देश के विभिन्न क्षेत्रों के कवियों, मनीषियों, संत, फकीरों से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों की आस्था, विश्वास एवं मुक्ति की वाणी रही है। देश की एकता को एक तार में पिरोने के क्षेत्र में इसने जो सफलता प्राप्त की है, वह अतुलनीय है।

तमिल के महान कवि सुब्रह्मणयम भारती ने 1906 में ''इंडिया'' नामक पत्रिका में लिखा था – ''भारत विभिन्न प्रदेशों वाला देश है, फिर भी यह एक पूर्ण इकाई है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र की भिन्न–भिन्न भाषा भी है, किन्तु संपूर्ण भारत के लिए एक सामान्य भाषा (कॅमन लैंग्वेज) नितांत आवश्यक है। यदि तमिलनाडु के लोग तमिल और हिन्दी जानते, यदि आंध्र के लोग तेलगु और हिन्दी जानते, यदि बंगाल के लोग बंगला और हिन्दी जानते तो हम एक राष्ट्र के रूप में एक सामान्य भाषा पाते।'' महात्मा गांधी ने भी इस बात पर बल दिया था कि हम अपनी क्षेत्रीय कार्रवाइयाँ क्षेत्रीय भाषा में करें जबकि राष्ट्रीय कार्यकलाप के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाए। इतना ही नहीं, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आचार्य विनोबा भावे ने भी हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाने पर जोर दिया था। देश की स्वतंत्रता की जिस स्वर्णिम जयंती को हम इतने उत्साह से मना रहे हैं उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने जो स्वदेशी आंदोलन अपनाया था उसका माध्यम भी हिन्दी ही था। अंततोगत्वा हिन्दी को एक देश व्यापी स्वरूप मिला।

भारतीय संविधान की यह स्पष्ट अवधारणा है कि देश में लोकतंत्र का विकास तभी सही अर्थों में हो सकता है, जब राज–काज के सभी स्तरों पर यहाँ की जमीन से उपजी और फली–फूली भाषाओं का प्रयोग हो। इसीलिए संघ सरकार द्वारा राजभाषा के रूप में हिन्दी और राज्य सरकारों की राजभाषा के रूप में वहाँ की प्रादेशिक भाषाएँ प्रतिष्ठापित की गयी हैं।

इस समय हमारा देश चतुर्दिक विकास के एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। हमें आपस में और अपने उपभोक्ताओं के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने के लिए हिन्दी का भरपूर उपयोग करना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने भीतर राजभाषा की चेतना को विकसित करें और दृढ़ संकल्प के साथ कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग के लिए पहल करें।

हमारे दामोदर घाटी निगम में भी हिन्दी में कार्यालयीन कामकाज करने पर अनेक आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएँ बनायी गयी हैं जिनका अधिक से अधिक लाभ भी उठाया जा रहा है। मगर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि राजभाषा का प्रयोग प्रलोभन से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व की महान भावना से करना चाहिए ।

मेरी आप सभी से अपील है कि हमें राष्ट्रीय विरासत से मिली राजभाषा हिन्दी की संजीवनी शक्ति को पहचानना होगा और राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित होकर अपने कार्यालयीन काम में हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोतर बढ़ाना होगा ।

आइए, हिन्दी दिवस के इस पुनित अवसर पर संकल्प लें कि हम अपने समस्त दैनिक कार्यकलापों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करें और देश का गौरव बढ़ाएँ।

आत्म दीपो भव!
14 सितम्बर, 2014

(ऐंड्रयू डब्ल्यू. के. लैंगस्टे)
अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम